

राजस्थान – सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार – कल्याण सेवार्यें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/09/263

दिनांक : 10/07/09

—: आदेश :—

राजस्थान विधानसभा का सत्र दिनांक 07.07.09 से प्रारम्भ हो चुका है। अतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें में कार्यरत समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि अधोहस्ताक्षरकर्ता की बिना अनुमति के अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावे एवं बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें,
राजस्थान जयपुर।

दिनांक : 10/07/09

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/09/263

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को उनकी टिप्पणी क्रमांक निस/मंचिस्वा/09/1866 दिनांक 06.07.09 के सन्दर्भ में सूचनार्थ
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त निदेशालय में कार्यरत समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, जोन।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को लेख है कि उक्त आदेश को इन्टरनेट पर डलवाने की व्यवस्था करावे।
8. आदेश पत्रावली/गार्ड फाइल।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें,
राज0 जयपुर।